उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-2

संख्या-01/2021/सीपी 41/84-2-2021-सी.पी 14/88 टीसी

लखनऊ::दिनांक : 02 फरवरी 2021

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम 2020 के नियम 6 के साथ पठित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019(अधिनियम संख्या-35 सन 2019) की धारा 42 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 12/2016/ सीपी 228/84-2-2016-सीपी14/88 टी.सी. दिनांक 5 मई, 2016 के क्रम में राज्यपाल श्री अशोक कुमार, मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को तात्कालिक प्रभाव से राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ का अध्यक्ष नियुक्त करती हैं राज्य आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल चार वर्ष की अवधि अथवा पैसठ वर्ष की आयु, जो भी पहले हो,होगी

(वीना कुमारी)

प्रमुख सचिव

संख्या-01/2021/सीपी 41/84-2-2021-सीपी 14/88 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिसूचना के अंग्रेजी रूपांतर सहित निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को आज दिनांक 02फरवरी, 2021 के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-(ख) में प्रकाशित करने का कष्ट करें

आज्ञा से,

(प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त)

अनु सचिव

संख्या-01/2021/सीपी 41/84-2-2021-सीपी 14/88 टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद

(2) सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,(उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली

(3) निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उपभोक्ता न्याय भवन, 'एफ' ब्लाक जी.पी.ओ. काम्प्लेक्स,आई.एन.ए. नई दिल्ली

(4) महानिबंधक, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा. मुख्य न्यायाधीश महोदय के संज्ञानार्थ

(5) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

(6) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रांत खंड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया मा. न्यायमूर्ति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्री अशोक कुमार से परिवचन भराकर शासन को उपलब्ध करायें

(7) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

(8) समस्त अध्यक्ष,जिला उपभोक्ता आयोग,उत्तर प्रदेश (द्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता आयोग)

(9) कोषाधिकारी, लखनऊ

(10) निजी सचिव मा. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन ।

(12) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन (सदस्य चयन समिति) को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ

(13) निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

(14) गाइड बुक

आज्ञा से,

(प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Upbhokta Sanrakshan Evam Baat Maap Anubhag 2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 01/2021/CP-41/ 84-2-2021 CP 14/88 TC, dated 02 February, 2021.

Notification
No.01 /2021/CP 41/84-2-2021 CP 14/88 TC
Lucknow :: Dated 02 February, 2021.

In exercise of the powers under clause (a) of the sub section (3) of section 42 of the Consumer Protection Act, 2019 (Act No 35 of 2019) read with rule 6 of the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020 and in continuation of Government Notification No.12/2016/CP 228/84-2-2016-CP 14/88 TC dated May 5,2016, the Governor is pleased to appoint Mr. Ashok Kumar, retired judge of the High Court of Judicature at Allahabad as the President of the State Consumer Dispute Redressal Commission Uttar Pradesh Lucknow with immediate effect. The President of the State Commission shall hold office for a term of four years or up to the age of sixty-five years, whichever is earlier.

By Order,

(Veena Kumari)
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।